जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 13.09.2022**

आज दिनांक 13.09.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता प्रमोद पुत्र सीताराम चौहान निवासी बाराडाड़ी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 523 / 2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामकरन निषाद मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलालबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3310 द्वारा मारपीट / विवाद को कराया गया शांत व विवाद में घायल 04 लोगों को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 3310 को थाना धनघटा अंतर्गत शनिचरा बाजार से इवेन्ट संख्या 10988 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 04 लोगों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 06 मिनट में पहुँचकर विवाद को शांत कराया गया व विवाद में घायल लोगों को जरिए एंबुलेंस से सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा घटना के संबंध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल लोगों को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी , जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 पेशकार भारती, हो0चा0 प्रमोद कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 49 वाहनो से 41500 रु0 सम्मन वसूल किया गया

आज दिनांक 13.09.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 49 वाहनों से 41500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया।